

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या—10/2017—वे0आ0—1—791/दस—2017—8(एम)/2016 दिनांक 12 दिसम्बर 2017 के क्रम में परिपत्र सी—72/स्थापना/मं0भत्ता/2017—18 दिनांक 21.12.2017 द्वारा बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को संशोधित दरों से महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, पुनः राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या—5/2018—वे0आ0—1—362/दस—2018—8(एम)/2016 दिनांक 18 अप्रैल 2018 द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनके द्वारा वेतन समिति, उ0प्र0(2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लागू नहीं है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं को दिनांक 01 जनवरी 2018 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः बैंक में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जो बैंक आदेशांक 24607/स्था0/2010—11 दिनांक 26.05.2011 द्वारा लागू छठे वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को शासनादेश संख्या—5/2018—वे0आ0—1—362/दस—2018—8(एम)/2016 दिनांक 18 अप्रैल 2018 के क्रम में दिनांक 01.01.2018 से उनके मूल वेतन का 142 प्रतिशत की दर से संशोधित करते हुये महंगाई भत्ते की भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1— उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैन्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा। परंतु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

2— इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा—अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई हैं।

3— इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(के0 पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या : रु०-१२ /स्थापना/मं0भत्ता/2018—19 दिनांक : 27-०४-१८

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उ0प्र0।

2— प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

3— सहायक महा प्रबन्धक(लेखा), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

4— समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।

5— उप महाप्रबन्धक(आई०टी० सेल/कम्प्यूटर) को ई—मेल व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(३० के० सिंह)

सहायक महा प्रबन्धक(स्थापना)